फर्द अहकाम्

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 02/2007 GCMS NO. 2007/00058
अनवान राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली बनाम लच्छा वगैरा
अंतर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
11-2-2022	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन किया गया एवं वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर हैं कि प्रस्तुत प्रकरण माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के न्यायालय से रिमान्ड होकर प्राप्त हुआ। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली ने अपने निर्णय दिनांक 26.04.1991 से उपखण्ड अधिकारी, बाली द्वारा दिनांक 13.01.1983 को पारित निर्णय को अपास्त कर पक्षकारो को सुनवाई व सबूत का समूचित अवसर प्रदान कर नियमानुसार निर्णय पारित करने के निर्देश के साथ प्रेषित किया। प्रकरण प्राप्त होने पर पक्षकारान् को नोटिस जारी किये गये। गैर सायल की और से वकील श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा उपस्थिति दी गई। प्रकरण में पूर्व में जवाबदावा प्राप्त हो जाने से प्रकरण में निम्नानुसार वाद बिन्दु कायम किये गयेः— 1. आया सरहद मौजा लुन्दाडा के खसरा नंबर 215, 227, 214, 213 कुल रकबा 30 बीघा 15 बिस्वा का हस्तान्तरण धारा 42 (b) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरित हुआ हैं? ..... सायल (प्रार्थी 2. आया वादग्रस्त भूमि का हस्तान्तरण वर्ष 1958 में होने से सायल का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज हैं? ....गैर सायल (अप्रार्थी) 3. आया, सायल का वाद म्याद बाहर हैं? ..... गैर सायल (अप्रार्थी) 4. अनुतोष ? प्रकरण में वाद बिन्दु कायमी के पश्चात् वादी तहसीलदार, बाली को मौखिक साक्ष्य प्रस्तुती के लिये पर्याप्त समय/अवसर दिये जाने के बावजुद मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया गया एवं दिनांक 29.07.2019 को वादी पक्ष के साक्ष्य निरीक्षक भू0अ0 चामुण्डेरी ने उपस्थित होकर प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यो के अतिरिक्त नया कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही करना चाहा, जिससे वादी पक्ष की साक्ष्य का अवसर दिनांक 29.07.2019 को बन्द करते हुये पत्रावली को प्रतिवादी पक्ष की साक्ष्य के लिये रखा गया। दिनांक 29.07.2019 से दिनांक 19.07.2021 तक दो वर्ष की समयावधि में अधिवक्ता प्रतिवादी पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुती के लिये कई मर्तबा समय अवसर दिये जाने के बावजुद मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से दिनांक 19.07.2021 को प्रतिवादी पक्ष की साक्ष्य का अवसर भी बन्द किया गया। तथा पत्रावली पर बहस समायत करते हुये पत्रावली को आदेश के लिये रखा गया। प्रशासकीय कार्यो में व्यस्तता की वजह से आदेश नहीं लिखाया जा सका। दिनांक 04.07.2022 को वकुलाय की पुनः मजीद बहस सुनी गई। सायल पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी कि प्रकरण में वर्णित भूमि मौजा लुन्दाडा के खसरा नंबर 215, 227, 214, 212 कुल रकबा 30 बीघा 15 बिस्वा का हस्तान्तरण उमा पुत्र दीपा कौम मेणा द्वारा धरमा, लच्छा,	

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये

सोना पि. पुना कौम मेघवाल के पक्ष में किया जाना पाया जाने से दिनांक 25.01.1979 को सायल की ओर से प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, बाली के न्यायालय में पेश कर प्रकरण में धारा 42 (b) का उल्लंघन होने से धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत कार्यवाही का निवेदन किया गया। जिसको माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली ने अपने आदेश दिनांक 13.01.1983 से स्वीकार कर विवादित भूमि को सिवाय चक दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये। जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 138 दिनांक 13.01.1983 के भूमि को सिवाय चक दर्ज किया गया। प्रकरण में धारा 42 (b) का उल्लंघन होना स्पष्ट तौर पर प्रमाणित है। इसके विपरित अधिवक्ता गैर सायल श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा बहस में दलील दी कि प्रश्नगत् प्रकरण में धारा 42 (b) के प्रावधानो का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। धारा 42 (b) को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दिनांक 01.05.1964 से जोडा गया हैं। दिनांक 01.05.1964 से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में धारा 42 (b) नहीं थी, तथा प्रश्नगत् प्रकरण में वर्णित भूमि का जो हस्तान्तरण हुआ है, वह दिनांक 29.04.1958 को खातेदार उमा पुत्र दीपा मेणा द्वारा सांकलचन्द पुत्र हीराचन्द कौम महाजन पोरवाल सा. चामुण्डेरी के पक्ष में किया गया। उक्त हस्तान्तरण धारा 42 (b) के प्रावधान प्रभाव में आने से पूर्व का होने से विधि अनुसार गैर सायल के विरूद्व प्रकरण चलने योग्य नहीं हैं। अतः प्रकरण में कार्यवाही ड्रोप किये जाने की दलील दी। विद्वान् वकील गैर सायल ने अपनी दलीलो के समर्थन में बेचान रजिस्ट्री की फोटो प्रति तथा राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी. सिविल स्पेशल अपील (रिट) नंबर 182 में दिनांक 28.04.2008 को डबल बैंच द्वारा पारित निर्णय की प्रति बतौर कानूनी उद्धहरण पेश की। जिसमें प्रतिपादित किया गया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 धारा 42 अनु. जाति/अनु.जन जाति के सदस्य द्वारा गैर अनुसूचित जाति/अनु. जन जाति के सदस्य के पक्ष में भूमि का अन्तरण (भूमि 1958 में अंतरित की) धारा 42 के प्रावधान 1964 में अन्तःस्थापित किये गये, अन्तरण पर धारा धारा 42 (b) के प्रावधान लागू नहीं किये जा सकते।

पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकरण में वर्णित भूमि के खातेदारो की स्थिति इस प्रकार रहीः–

उमा पुत्र दीपा मेणा

↓

सांकलचन्द पुत्र हीराचन्द कौम महाजन (पोरवाल) सा.चामुण्डेरी
(दिनांक 29.04.1958 को रजिस्टर्ड बेचान के द्वारा)

↓

लच्छीराम पुत्र भागीरथ, सुरजमल, हनुमान प्रसाद, लालाराम
पि. भबूतमल अग्रवाल सा. चामुण्डेरी
(दिनांक 22.01.1969 की रजि. से नामान्तरकरण
स्वीकृत दिनांक 14.02.1973)

↓

धरमा, लच्छा, सोना पि. चुना, जाति मेघवाल ,साकिन मालनू
(दिनांक 01.06.1971 की रजि. से नामा.स्वीकृत दि. 14.02.1973)

↓

राजकीय सिवायचक
(दिनांक 13.01.1983 से)

विद्वान् वकुलाय की बहस पर गौर किया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बैंच द्वारा D.B. civil special Appeal(Writ) No. 182 of 2000 Madghu Devi (Smt.) &

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये

Ors v/s Board of Revenue for Rajasthan & Ors

में दिनांक 28.04.2000 को पारित निर्णय के पैरा 05 से 08 का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा–42–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के सदस्य द्वारा गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के सदस्य के पक्ष में भूमि का अन्तरण– भूमि 1958 में अन्तरित की– धारा 42 के प्रावधान 1964 में अन्तःस्थापित किये गये बल्कि भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया– निर्णित, 1958 में किये गये अन्तरण पर धारा 42 के प्रावधान लागू नहीं किये जा सकते– एकल न्यायाधीश का आदेश अपास्त होने योग्य है।

इस संबध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की 42 के प्रावधानो अनुसार–

Prohibition under- Amendments enumerated- effect stated- Sales on or after 1-5-64 are void, sales between 22-9-56 to 1-5-64 are voidable while sales prior to 22-9-56 are legal. (Appeal allowed)

इस प्रकार हस्तगत् प्रकरण में वर्णित भूमि का भी दिनांक 29.04.1958 को खातेदार उमा पुत्र दीपा मेणा द्वारा सांकलचन्द पुत्र हीराचन्द कौम महाजन (पोरवाल) सा. चामुण्डेरी को बेचान किया गया है। जिससे वकील गैर सायल द्वारा प्रस्तुत कानूनी उद्धहरण हस्तगत् प्रकरण पर हूब–हू चश्पा होती है। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस के पश्चात् सरहद मौजा लुन्दाडा के खसरा नंबर 215, 227, 214, 213 कुल रकबा 30 बीघा 15 बिस्वा के खातेदार उमा पुत्र दीपा मेणा द्वारा दिनांक 29.05. 1958 को खरीदकर्ता सांकलचन्द पुत्र हीराचन्द कौम महाजन (पोरवाल) सा.चामुण्डेरी के पक्ष में किया गया बेचान धारा 42 टिनेन्सी एक्ट. के तहत बाधित नही होने से वादी तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 175 आर.टी.ए. खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner